पीठासीन अधिकारीः रामचन्द्र खटीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 57/2013

उनवान

श्री मोहम्मद पिता रहीम बख्श जाति लखारा निवासी डडूका तहसील गढ़ी।

—: .वादी

बनाम

हीरा पिता धुला आदिवासी निवासी डडूका तहसील गढ़ी।

श्रीमति भूरी पत्नि हीरा आदिवासी निवासी डडूका तहसील गढ़ी।

तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 13/8/2019

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के स्वामित्व एंव आधिपत्य के सर्वे नम्बर क्रमशः 3082 एंव 3099 रकबा 0.19 हे0 जिनके पुराने सर्वे नम्बर कमशः 1120 एंव 1158 वाके ग्राम डडूका पटवार हल्का डडूका तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा में स्थित है। उक्त सर्वे नम्बर की भूमि का वादी एक मात्र स्वामी होकर बहैसियत खातेदार काश्त करता चला आ रहा है। वादी के पिता श्री रहीम बख्श ने उक्त सर्वे नम्बर की भूमि श्री बदिया पिता कुरिया एंव सतर पिता कालिया से दिनांक 30.5.1958 को जरिये विकय—पत्र किमतन कय की थी। वादी के पिता रहीम बख्श की मृत्यु पश्चात् वादी ने इस भूमि पर काश्त की एंव आज तक लगातार शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग करते हुऐ काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 पिछले 1 माह से वादी के कब्जेशुदा सर्वे नम्बरान की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। जिस पर वादी एंव गांव के लोगो द्वारा समझााने पर नही माने और मारपीट पर आमादा हुऐ। जिस हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादी के उक्त सर्वे नम्बरान की भूमि पर शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग में बाधा व रूकावट उत्पन्न करने से रोका जाने एंव उक्त आराजियात का वादी को खातेदार कृषक घोषित कराने धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद प्रस्तुत किया गया।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादीगण की तरफ से श्री सन्दीप पाटीदार अभिभाषक का वकालातनामा पैश होकर प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना—पत्र पर वादी अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् पत्रावली प्रार्थना—पत्र की बहस हेतु नियत की गई।

प्रकरण में बकुलाय की बहस सुनी गई। बहस पर मनन् करने तथा वादी की ओर से प्रस्तुत वाद एंव संलग्न अभिलेख तथा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत धारा 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना—पत्र एंव वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र के जवाब का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42—ख का उलघंन करता है तथा उक्त धारा में उल्लेखित हैं कि इस प्रकार के हस्तान्तरण निष्पादित होने पर भी प्रारम्भ से शून्य है। जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2001 पृष्ठ संख्या 930, आर.आर.टी. 2002 पृष्ठ संख्या 832, आर.आर.टी. 2006 पृष्ठ संख्या 1056 एंव आर.आर.टी. 2017 पृष्ठ संख्या 35 प्रस्तुत किये गये। बहस उपरान्त न्यायालय इस निश्कर्ष पर पहुँचा कि प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42—ख के उलघंन से सम्बन्धित होने से वाद खारिज योग्य है। अतः प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर वादी की ओर से प्रस्तुत वाद वादी के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

(रामचन्द्र खटीक)

उपखण्ड अधिकारी

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : रामचन्द्र खटीक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 57/2013

उनवान

बशीर मोहम्मद पिता रहीम बख्श जाति लखारा निवासी डडूका तहसील गढ़ी।

—: वादी

बनाम

(1) हीरा पिता धुला आदिवासी निवासी डडूका तहसील गढ़ी।
(2) श्रीमति भूरी पत्नि हीरा आदिवासी निवासी डडूका तहसील गढ़ी।
(2) तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 13/8/201

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दि जाता हैं कि वादी का वाद वादी के विरूद्व निर्णित किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी क जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शू प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 13/8/2019 को जारी की गई

(रामचन्द्र खटीक)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, बांसवाड़ा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्ववायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा बकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी